पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक 28164 दिनांक: 01-01-2025

कार्यालय आदेश

क्षेत्राधिकार में अवस्थित समस्त महाविद्यालयों की सम्बद्धता के संबंध में

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जयपुर के द्वारा दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2022 तक के विश्वविद्यालय के लेखों के अंकेक्षण में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों से रूपये 429 लाख (4,29,00,000/–) की रिकवरी निरीक्षण शुल्क की मद में निकाली है।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता परिपत्र क्रमांक P-1( ) Affiliation/BOI/2018-19/2371 दिनांक 26.02.2019 में यह स्पष्ट वर्णित था कि सम्बद्धता प्राप्त समस्त महाविद्यालय को सम्बद्धता शुल्क के साथ निरीक्षण शुल्क जमा करवाना है क्योंकि निरीक्षण शुल्क जमा करवाने से संबंधित प्रावधान विश्वविद्यालय नियम/परिनियम 19 (4) एवं 19 (18) (4) में उपलब्ध है तथा यूजीसी (विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों को सम्बद्धता) विनियम, 2009 जिसे कि राज्य सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय के अध्यादेश में समाहित किया हुआ है, में भी वर्णित है। दिनांक 26.02.2019 के परिपत्र में उल्लेखित निरीक्षण शुल्क सम्बद्ध महाविद्यालयों के द्वारा जमा नही करवाया गया था जो चूकवश विश्वविद्यालय के संज्ञान में भी नहीं आया। जिसकी वजह से स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने उक्त रिकवरी निकाली है।

विश्विद्यालय प्रशासन उक्त रिकवरी के संबंध में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के अधिकारियों के साथ इस संबंध में पत्राचार कर रहा है कि पूर्व के वर्षों की निकाली गयी यह रिकवरी कोविड एवं अन्य विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माफ की जाए, परन्तु अभी तक उक्त रिकवरी पैरा ड्राप नहीं हुआ है। इस संबंध में विश्वविद्यालय एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के बीच संवाद जारी है।

अब समस्त सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को यह सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अध्यादेश, नियम, परिनियम एवं यूजीसी (विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों को सम्बद्धता) विनियम, 2009 में वर्णित प्रावधानुसार अब समस्त सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को उनके वहां संचालित विभिन्न पाठयक्रमों की सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु सम्बद्धता शुल्क के अतिरिक्त निरीक्षण शुल्क (प्रति पाठयक्रम रूपये 10,000/–) भी जमा करवाया जाना आवश्यक है।

सत्र 2025–26 हेतु सम्बद्धता आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल शीघ्र ही खोला जा रहा है। जिसमें उक्त अधिनियम, नियम, परिनियम एवं यूजीसी रेगुलेशन के प्रावधानुसार शुल्क जमा कराना सुनिश्चित करावें।

कुलसचिव
दिनांक: 01-01-2025

क्रमांक– 28165 - 168
प्रतिलिपि:–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, कुलपति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
2. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
3. लेखा शाखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
4. सम्बद्धता शाखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
5. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव